3/3/26

पत्रावली पेश हुई। बहस पश्चात [illegible] पर सुनी गई।
दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादी अंतिम डिक्री किया जाता
है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड
में जमा होवे। दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

हनुमन्तसिंह पुत्र भगवंतसिंह आयु 60 साल जाति राजपूत निवासी हरनगर तहसील जिला करौली हाल निवासी पांचना बड़ा पुल के पास करौली

–वादी

बनाम

1. चौरजीसिंह पुत्र रामपाल
2. गजेन्द्रसिंह पुत्र रामपाल
3. गणेशसिंह
4. नरेशसिंह
5. दिनेशसिंह
6. महेन्द्रसिंह
7. भल्लूसिंह
8. गोल्डनसिंह

(क्रमांक 1 से 8: पिसरान रघुनाथसिंह)

सभी जातियान राजपूत निवासी हरनगर तहसील व जिला करौली

9. तहसीलदार करौली लैण्ड हॉल्डर

–प्रतिवादीगण

दावा बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. 6/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री ललित शर्मा, एडवोकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण अंतिम डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नंबर 266/2 रकबा 1.5302 है0 ग्राम खूडा पटवार हल्का खूडा तहसील मासलपुर वादीगण के हिस्से खातेदारी में रहेगी। जिसमें वादी नंबर 1 का 1/3, वादी नंबर 2 का 1/2 हिस्सा एवं वादी नंबर 3 का 1/6 हिस्सा रहेगा एवं खसरा नंबर 266/1 रकबा 0.5312 है0, खसरा नंबर 265 रकबा 0.2909 है0 एवं खसरा नंबर 267 रकबा 0.70822 है0 कुल किता 3 कुल रकवा 1.5303 है0 ग्राम खूडा पटवार हल्का खूडा तहसील मासलपुर प्रतिवादी नंबर 1 की हिस्से खातेदारी में रहेगा। बंटवारा स्कीम मय नक्शा अंतिम डिक्री व निर्णय का भाग रहेगा। प्रतिवादी नंबर 2 इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादी नंबर 1 के हक में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अमल करें। तदानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करें।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक ....5.5.26.... को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

मुदई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0नं0:— 6/23

तारीख रजु:— 23.1.23

उनवान

हनुमन्तसिंह पुत्र भगवंतसिंह आयु 60 साल जाति राजपूत निवासी हरनगर तहसील जिला करौली हाल निवासी पांचना बडा पुल के पास करौली

—वादी

वनाम

1. वीरजीसिंह पुत्र रामपाल
2. गजेन्द्रसिंह पुत्र रामपाल
3. गणेशसिंह
4. नरेशसिंह
5. दिनेशसिंह
6. महेन्द्रसिंह
7. भल्लूसिंह
8. गोल्डनसिंह

(क्रमांक 3 से 8 — पिसरान रघुनाथसिंह)

सभी जातियान राजपूत निवासी हरनगर तहसील व जिला करौली

9. तहसीलदार करौली लैण्ड हॉल्डर

—प्रतिवादीगण

दावा बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

—::निर्णय::— दिनांक :— 5/8/26

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजीयात खसरा नंबर 1553 रकबा 0.1500 बंजड—1, खसरा नंबर 1554 रकबा 2.1300 बारानी—1, खसरा नंबर 1555 रकबा 1.1300 बंजड—1, कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 01 बिस्वा वांके ग्राम भीकमपुरा पटवर हल्का हरनगर तहसील व जिला करौली में स्थित है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण 1 व 2 शिम्भूसिंह के वारिस होने के कारण 1/4 हिस्सा इनका है। तथा खातेदार भौरूसिंह के वारिसान का 1/4 हिस्सा है क्योंकि शिम्भूसिंह पुत्र देवीजीतसिंह फौत हो चुके है उनका लडका रामपाल था वह भी फौत हो चुका है इसलिए इसके वारिस प्रतिवादी नंबर 1 व 2 तथा भौरूसिंह पुत्र सम्पतसिंह फौत हो

उपखण्ड अधिकारी

चुके है उनका वारिस रघुनाथसिंह था व भी फौत हो चुका है इसलिए प्रतिवादी तीन लगायत 8 भौरूसिंह के वारिसान है। जिनका 1/4 हिस्सा है। उक्त जमीन को संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है और काबिज है। वादी आंखों से अन्धा है वादी के परिवारजन व वादी 1/2 हिस्सा को काश्त करते है व अब भी काबिज है। किन्तु अब टनय प्रतिवादीगणों से वादी की नहीं बन पाती है तथा काश्त करने में आपस में विवाद होता है लगान जमा कराने पर विवाद होता है। इसलिए वादी उक्त आराजीयात में स्थित 1/2 हिस्सा अपनी खातेदारी सेपरेट कराने का मुश्तहक है और लगान अलग कराने का मुश्तहक है। प्रतिवादीगण आये दिन काश्त करने में झगडा फिसार करते है। इसलिए यह दावा करना आवश्यक हुआ है। विनाय मुखास्मत दिनांक 31.12.2022 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण से उक्त आराजी का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड कराकर अलग खातेदारी वादी के नाम कराने की कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा इंकार करने पर कब्जे काश्त में बेदखल करने की धमकी देने पर अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई है। अंत में दावा वादी डिक्री किये जो का निवेदन किया है।

उक्त दावा वाद सुनवाई दिनांक 23.12.2025 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार करौली से बंटवारा स्कीम तलब की गई। बंटवारा स्कीम दिनांक 20.04.2026 को प्राप्त होने पर दिनांक 30.04.2026 को शामिल पत्रावली की गई। बंटवारा स्कीम पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। वकील उभयपक्ष द्वारा बंटवारा स्कीम पर कोई आपत्ति पेश नहीं की। दावा वादी मुताबिक बंटवारा स्कीम अंतिम डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादी विरूद्व प्रतिवादीगण अंतिम डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नंबर 266/2 रकबा 1.5302 है0 ग्राम खूडा पटवार हल्का खूडा तहसील मासलपुर वादीगण के हिस्से खातेदारी में रहेगी। जिसमें वादी नंबर 1 का 1/3, वादी नंबर 2 का 1/2 हिस्सा एवं

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

वादी नंबर 3 का 1/6 हिस्सा रहेगा एवं खसरा नंबर 266/1 रकबा 0.5312 है0, खसरा नंबर 265 रकबा 0.2909 है0 एवं खसरा नंबर 267 रकबा 0.70822 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.5303 है0 ग्राम खूडा पटवार हल्का खूडा तहसील मासलपुर प्रतिवादी नंबर 1 की हिस्से खातेदारी में रहेगा। बंटवारा स्कीम मय नक्शा अंतिम डिक्री व निर्णय का भाग रहेगा। प्रतिवादी नंबर 2 इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादी नंबर 1 के हक में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अमल करें। तदानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 5/5/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी
करौली।